क्रम-संख्या—74 (ग)

(154)

/एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 मार्च, 2005

चैत्र 2, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग—1

संख्या 4550/80-1—2004-600(272)-2004

लखनऊ, 23 मार्च, 2005

अधिसूचना

प०आ०—107

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 26 "भ" के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 10 (2) (क) एवं 10 (2) (ख) का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, विनियम 10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम (2) (क) एवं (2) (ख) के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिये गये उपविनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान उप विनियम	स्तम्भ–2 संशोधित उप विनियम
10 (2) (क) निदेशक और अपर निदेशक (प्रशासन) के पदों को छोड़कर वर्ग "क" के समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।	10 (2) (क) निदेशक और अपर निदेशक (प्रशासन) के पदों को छोड़कर वर्ग "क" के समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, परन्तु उप निदेशक (विपणन) का एक पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।
10 (2) (ख) वर्ग "ख" में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।	10 (2) (क) वर्ग "ख" में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे, परन्तु प्रोग्रामर के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

विनियम 12 3—उक्त विनियमावली के विनियम 12 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1

वर्तमान उप विनियम

12 (4) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। समिति विनियम 8 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये परीक्षा और/या साक्षात्कार के लिये, जैसा वह विनिश्चित करे, पात्र अभ्यर्थियों को बुलायेगी। वर्ग "ग" और "घ" के पदों के लिये चयन की स्थिति में राज्य सरकार के अधीन इन वर्गों के पदों पर नियुक्ति के लिये विहित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। समिति अभ्यर्थियों की योग्यता-क्रम में, जैसा परीक्षा और/या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो समिति उनका नाम उनकी आयु के आधार पर रखेगी। अधिक आयु वाले व्यक्ति को ऊपर रखा जायगा।

स्तम्भ–2

संशोधित उप विनियम

12 (4) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। समिति विनियम 8 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, परीक्षा और/या साक्षात्कार के लिये, जैसा वह विनिश्चित करे, पात्र अभ्यर्थियों को बुलायेगी। वर्ग "ग" में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के पदों को छोड़कर और वर्ग "घ" के पदों के लिये चयन की स्थिति में राज्य सरकार के अधीन इन वर्गों के पदों पर नियुक्ति के लिये विहित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। समिति अभ्यर्थियों की योग्यता-क्रम में, जैसा परीक्षा और/या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो समिति उनका नाम उनकी आयु के आधार पर रखेगी। अधिक आयु वाले व्यक्ति को ऊपर रखा जायगा।

12 (4-क) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक पद हेतु निम्नलिखित प्रश्न पत्रों में, जिनके अंक प्रत्येक के सामने दर्शाये गये हैं, एक लिखित परीक्षा होगी–

प्रश्न पत्र	अंक
(एक) हिन्दी से उर्दू में अनुवाद	100
(दो) उर्दू से हिन्दी में अनुवाद	100
(तीन) हिन्दी निबन्ध	50

चयन समिति उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य उर्दू और हिन्दी भाषा में दक्ष किसी व्यक्ति को सौंपेगी।

चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता क्रम में, जैसाकि लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी :

153

स्तम्भ–1 वर्तमान उप विनियम	स्तम्भ–2 संशोधित उप विनियम—
	परन्तु इस उपनियम के अधीन तैयार की गयी सूची में किसी अभ्यर्थी को तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह हिन्दी निबन्ध में 33 प्रतिशत अंक न प्राप्त करे। चयन विनियम 11 के अधीन गठित की जाने वाली, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

4—उक्त विनियमावली के विनियम 13 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम (1) के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– विनियम 13(1) का संशोधन

स्तम्भ–1 वर्तमान उप विनियम	स्तम्भ–2 संशोधित उप विनियम
13(1) पदोन्नति के लिए चयन विनियम 11 के अधीन गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन का मापदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगी।	13(1) पदोन्नति के लिए चयन विनियम 11 के अधीन गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन के मापदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगी, परन्तु संयुक्त निदेशक (विपणन) का पद श्रेष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरा जाएगा।

5—उक्त विनियमावली की परिशिष्ट "क" में, परिशिष्ट "क" का संशोधन

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये क्रमांक—5, 22 एवं 44 पर दी गई प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रुपये में)
5 (1) संयुक्त निदेशक (विपणन)	2	10650-325-15850
22 (1) प्रोग्रामर	2	8000-275-13500
44 (1) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक	11	3050-75-3950-80-4590

(ख) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये क्रमांक 9, 17 एवं 22 की प्रविष्टियों के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दी गयी प्रविष्टियाँ दी जायेंगी, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि परिशिष्ट "क" (विनियम 4 देखें)			स्तम्भ–2 संशोधित प्रविष्टि परिशिष्ट "क" (विनियम–4 देखें)		
पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)
9–उप निदेशक (विपणन)	1	1250-50-1350-द०रो०-60-1600-द०रो-60-1900-75-2050	9-उप निदेशक (विपणन)	4	10000-325-15200
17–विपणंन अधिकारी	5	850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420 द०रो०-60-1720	17-विपणन अधिकारी	6	8000-275-13500
22—सहायक वास्तुविद/सहायक नगर योजनाकार (टाउन प्लानर)	4	850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो०-60-1720	22-सहायक वास्तुविद/सहायक नगर योजनाकार (टाउन प्लानर)	2	8000-275-13500

परिशिष्ट "ख" का संशोधन

6—उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट "ख" में दिये गये क्रमांक–1 पर दी गई प्रविष्टि के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये क्रमांक 1, 1-क पर दी गई प्रविष्टियों, क्रमांक 6 पर दी गई प्रविष्टि के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये क्रमांक- 6, 6-क पर दी गई प्रविष्टियाँ एवं क्रमांक-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये क्रमांक-7, 7-क पर दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:–

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रविष्टि
परिशिष्ट "ख"
(विनियम–7देखें)

क्रम-सं०	पद का नाम	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव
1	विपणन अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, परन्तु अन्य बातों के सम्मन होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो कृषि या कृषि विपणन या वाणिज्य अर्थशास्त्र में स्नातक हो।

स्तम्भ–2

संशोधित प्रविष्टियाँ
परिशिष्ट "ख"
(विनियम–7 देखें)

क्रम-सं०	पद का नाम	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव
1	विपणन अधिकारी	**अनिवार्य** अर्हता–विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान या अर्थशास्त्र वाणिज्य में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक। **अधिमानी अर्हता–** परन्तु अन्य बातों के समान होते हुए विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि विपणन या एम०बी०ए० (कृषि व्यवसाय) में परास्नातक या कृषि विपणन प्रबंधन या कृषि व्यवसाय में परास्नातक डिप्लोमा धारक को अधिमान दिया जाएगा।
1-क	उप निदेशक (विपणन)	**अनिवार्य अर्हता–** विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और कृषि व्यवसाय में या कृषि निर्यात में या किसी सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत-शासी निकाय में रु० 8000-275-13500 के वेतनमान में आठ वर्ष का कार्यकारी अनुभव होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता–परन्तु अन्य बातों के समान होते हुए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से कृषि विज्ञान या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि विपणन या एम०बी०ए० (कृषि व्यवसाय) में परास्नातक या कृषि विपणन प्रबन्धन या कृषि व्यवसाय में परास्नातक डिप्लोमा धारक को अधिमान दिया जायेगा।

क्रम सं०	पद का नाम	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव	क्रम सं०	पद का पदनाम	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये विहित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव
6	लेखालिपिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में बी०काम०/लेखा/लेखा परीक्षा में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा।	6	लेखा लिपिक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में लेखा के साथ बी०काम लेखा/लेखा परीक्षा में अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।
			6-क	उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा या एक विषय के रूप में उर्दू के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उच्चतर परीक्षा। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
7	लिपिक एवं टंकक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और हिन्दी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।	7	लिपिक एवं टंकक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और हिन्दी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति। ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जो (एक) कम्प्यूटर पर टंकण की जानकारी रखता हो, (दो) अंग्रेजी टंकण की भी जानकारी रखता हो।
			7-क	प्रोग्रामर	कम्प्यूटर अनुप्रयोग (अप्लीकेशन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अनुभवी व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

परिशिष्ट "ग" का संशोधन

7—उक्त विनियमावली के विनियम 10 में उप विनियम (4) के परिशिष्ट "ग" में शीर्षक "सामान्य" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

(ग) विपणन अधिकारी (8000–275–13500)	कम से कम 5 वर्ष की सेवा के पश्चात्।	उप निदेशक (विपणन) (10000–15200)	कम से कम 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् (श्रेष्ठता के आधार पर)।	संयुक्त निदेशक (विपणन) (10650–15850)

आज्ञा से,

एन० एस० रवि,

सचिव।